मध्य प्रदेश शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन-भोपाल

क्रमांक:एफ 4-1/2012/नियम/चार भोपाल,दिनांक 11 सितम्बर,2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय- राज्य शासन के उपक्रमों/निगमों/मंडलों तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की स्वीकृति।

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4-1/2012/नियम/चार, दिनांक 07 मई, 2012 द्वारा उपक्रमों/निगमों आदि के ऐसे कर्मचारियों जो राज्य शासन के विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं तथा मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 1989 (चौथा वेतनमान) में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, को उन्हें उक्त वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन का 589% मँहगाई भत्ता दिनांक 1-4-2012 से तथा ऐसे कर्मचारियों जो म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 (पाँचवा वेतनमान) में वेतन प्राप्त कर रहे हैं एवं जिनके 50% मंहगाई भत्ते को मंहगाई वेतन के रूप में परिवर्तित किया गया है, को दिनांक 1-4-2012 से 84% की दर से मंहगाई भत्ता देय है ।

2/ राज्य शासन के कर्मचारियों के मँहगाई भत्ते में दिनांक 1-8-2012 से 7% की वृद्धि कर उसे 58% से बढ़ा कर 65% किया गया है, अतः उसी क्रम में इन कर्मचारियों को देय मँहगाई भत्ते में अनुपातिक रूप से वृद्धि करने की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि इन कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ता, निम्नानुसार दर से स्वीकृत किया जाए :-

अवधि जब से देय है	मंहगाई भत्ते की दर प्रतिमाह
1	2
चौथे वेतन पाने वाले-म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 1989. दिनांक 1-8-2012 से (माह अगस्त, 2012 का वेतन जो सितम्बर, 2012 में देय होगा)	मूल वेतन एवं व्यक्तिगत वेतन (यदि कोई हो) का **619%**
50% मंहगाई भत्ते को मंहगाई वेतन के रूप में परिवर्तित -म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 1998. दिनांक 1-8-2012 से (माह अगस्त, 2012 का वेतन जो सितम्बर, 2012 में देय होगा)	वेतन + मंहगाई वेतन के महायोग पर **93%**

5/ मंहगाई भत्ते के कारण किये जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हों, तो उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि छोड़ दिया जावेगा ।

6/ मंहगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जावेगा ।

7/ इन आदेशों के अंतर्गत देय मंहगाई भत्ते का भुगतान विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(मनीष रस्तोगी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 4-1/2012/नियम/चार भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर, 2012

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(डी.के.सक्सैना)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग